

मुरगांव पत्तन न्यास  
वित्त विभाग

संदर्भ स. एफए/सीए/पी.3/2020/1112

दिनांक : 18/01/2020

**परिपत्र**


**विषय: जनवरी, 2020 से मार्च, 2020 तक की अवधि  
के लिए डी.ए. की तिमाही संशोधित प्रतिशत**

मंत्रालय के पत्र सं.29018/5/2006-पीई-1 दि. 26/07/2010, ए-29018/5/2006-पीई-1 दि.18/02/2011, दि.30/08/2018 के समझौता जापन के अनुसरण में एआईसीपीआई तिमाही इन्डेक्स औसत 126/277, जिससे संशोधित वेतनमान संबंधित है, के आधर पर **जनवरी, 2020 से मार्च, 2020** तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर, निम्नवत है:-

In pursuance of Ministry's letters no. A-29018/5/2006-PEI dated 26<sup>th</sup> July, 2010, A-29018/5/ 2006-PEI dated 18/02/2011 and Memorandum of Settlement 30/08/2018, the rate of Dearness Allowance payable to the Class I, II, III & IV employees from **January, 2020 to March, 2020** based on the increase/decrease in AICPI quarterly index average of 126/277 to which the revised scales of pay are related, is given here below:

श्रेणी Class	अवधि Period		तैमासिक औसत प्वाइंट्स Three monthly average points	डी.ए. के लिए गणना किए जानेवाले प्वाइंट्सों की कुलसंख्या Total No. of points to be counted for D.A	100% न्यूट्रलाइजेशन डी.ए. की % % of D.A. on 100% neutralization
	From	To			
प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारी Class I & II Officers	01/01/2020	31/03/2020	325	199	157.94 %
तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारि Class III & IV employees	01/01/2020	31/03/2020	325	48	17.33%

- डी.ए. की उपरोक्त दरें पेन्शनरों/परिवार पेन्शनरों को एआईसीपीआई 126/277 पर लागू होंगी।  
The above rates of D.A. are also applicable to pensioners/family pensioners on AICPI 126/ 277
- यह अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
This issues with the approval of the Chairman.

  
18/1/20

वित्तिय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष/ एमपीटी

प्रतिलिपि:-

- 1) अध्यक्ष के पटल हेतु
- 2) उपाध्यक्ष के पटल हेतु
- 3) आरएपी/एमपीटी
- 4) सहायक निदेशक ( ईडीपी)/एमपीटी
- 5) सूचना पट्ट
- 6) सहायक प्रबंधक (ईडीपी) ... for website